Seventeenth Loksabha

an>

Title : Issue regarding menace caused by pollution in Chandrapur Parliamentary Constituency, Maharashtra.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र चंद्रपुर की एक भयंकर प्रदूषण की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी देश के सबसे प्रदूषित शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों का 'सेपी' स्कोर प्रकाशित किया गया ।

इसके अनुसार महाराष्ट्र राज्य के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट में चंद्रपुर शहर 76.41 स्कोर के साथ दूसरे क्रमांक पर है । चंद्रपुर टाइगर रिजर्व, हरे-भरे जंगलों और सुंदर नदियों के लिए जाना जाता है । पर अब कुछ वर्षो से इसे सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण के लिए भी जाना जाता है । वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान कोयला, सीमेंट, चूना पत्थर, पेपर मिल, राईस मिल, थर्मल पॉवर स्टेशन से निकलने वाले ज़हरीले धुएं, डस्ट और कैमिकल्स का है । एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रपुर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, भारी भरकम डीजल के वाहनों द्वारा कोयले की खदानों से कोयला लाने में जो धूल उड़ती है और उस कोयले को शहर और गांव के पास खुले स्थान पर डम्पिंग किया जाना ।

दूसरा, एक और बड़ा प्रदूषण का कारण है- चंद्रपुर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन जो पिछले कई वर्षो से प्रदूषण के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और चंद्रपुर और आसपास के वातावरण को ज़हरीला बना रखा है । एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्लांट की यूनिट नम्बर 1 और 2 बहुत पुरानी हैं जो क्रमश: 1983 और 1984 में बनी थीं और उनमें से सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर (एसपीएम) क्रमश: 381 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर और 643 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर रेगुलरली निकलता रहता था जो सामान्य मानक से कहीं ज्यादा था । सामान्यत: यह 100 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए और उनकी ऊंचाई भी केवल

90 मीटर थी , जो मानक के अनुरूप नहीं थी । मानक के अनुसार ऊंचाई लगभग 275 मीटर होनी चाहिए ।

अंत में, मेरा अनुरोध है कि चंद्रपुर वासियों को इस ज़हरीले प्रदूषण से बचाइए । इसके लिए सबसे पहले जो कोयला शहरों और गांवों के पास खुले में डम्प किया जाता है, उसके लिए कहीं दूर डंपिंग स्थान बनाया जाना चाहिए ।

दूसरे, चंद्रपुर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन सहित और जो दूसरी कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मानक के अनुसार चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सब मेरे लिए माननीय हैं । मेरा आपसे आग्रह है कि सामने आपका नाम भी लगा हुआ है । घड़ी भी लगी हुई है । एक मिनट में अपनी बात को कह दें और कुछ बचा हुआ हो तो 15 सैकेंड और ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा समय न लें ।

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, जब सोमनाथ चटर्जी जी अध्यक्ष थे, तब से अपनी सीट से बात करने का उन्होंने एक नियम लागू किया था । टी.वी. स्क्रीन के ऊपर नाम आता है । अगर कोई अपनी सीट से नहीं बोलते हैं तो और किसी का नाम आता है । इसीलिए स्ट्रिक्टली वह नियम आप इंपलीमेंट करिए, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

माननीय अध्यक्ष : सदन भी यही चाहता है । यहां सदन सहमति से चलता है ।

आज के बाद माननीय मंत्रिगण भी अपनी जगह से जवाब देंगे ।

…(<u>व्यवधान</u>)